न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
विविध वाद संख्या–29 / 2015
रामदेव मुखिया एवं अन्य बनाम बिहार सरकार

आदेश की कम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
19/03/15	**आदेश** आवेदक की ओर से हाजरी प्राप्त। पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी सं0–02 यानि अंचल अधिकारी, कुशेश्वरस्थान(पूर्वी) आवेदक की खरीदगी जमीन के विरूद्ध अज्ञात लोगों को पर्चा निर्गत कर उन्हें बेदखल करने की कार्रवाई कर रहे हैं जिसके लिए कोई आधार नही है। इसी कार्रवाई के विरूद्ध यह वाद आवेदन दाखिल किया गया है जिसे प्रतिग्रहित कर अग्रेतर कारवाई की जाय। विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक किस अधिनियम के अन्तर्गत वाद आवेदन दाखिल किये है, जिसका उल्लेख आवेदन मे नही किया गया है जिस कारण आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन इस न्यायालय में विचारण योग्य नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं वाद आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा दाखिल वाद आवेदन मात्र अनुमान के आधार पर दायर किया गया है। यह भी स्पष्ट है कि किसी रैयती भूमि पर वासगीत पर्चा निर्गत करने के पूर्व भू–मालिक को नोटिस निर्गत कर उन्हें मौका दिए जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय में वाद आवेदन दाखिल करने का कोई आधार नहीं है। आवेदक यदि चाहें तो संबंधित अंचल अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल कर सकते है तथा नियमानूकूल आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बिना किसी साक्ष्य के मात्र अनुमान के आधार पर इस न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया जाना विधिसंगत नही है। उपरोक्ता विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। 19/3/15 समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा।	